न्यायालय सहायक कलेक्टर जसवंतपुरा जिला जालोर

पीठासीन अधिकारी –श्रीमती पुष्पाकंवर सिसोदिया आर.ए.एस.

राजस्व वाद सख्या – 01/2019

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
1. नरसा पुत्र केसाजी 2. स्व. रामा पुत्र केसाजी के कायम मुकाम– (1) रतना राम पुत्र रामाजी (2) हीरा राम पुत्र रामाजी (3) संजय कुमार पुत्र रामाजी (4) सीतादेवी पत्नि रामाजी 3. सरूपा पुत्र केसाजी जातियान कुम्हार निवासीगण तवाव तहसील जसवंतपुरा जिला–जालोर		जेसाराम पुत्र केसाजी के कायम मुकाम :– 1. आकाश पुत्र भलाराम 2. प्रकाश पुत्र जेसाराम 3. जोती पत्नि स्व. जेसाराम जातियान कुम्हार निवासीगण तवाव तहसील जसवंतपुरा जिला–जालोर 4. भूमिधारी तहसीलदार जसवंतपुरा तहसील जसवंतपुरा जिला–जालोर

दावा बाबत खातेदारी हक व स्थायी निषेधाज्ञा

अंतर्गत धारा 88 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय दिनांकः 24.10.2019

वादी द्वारा उक्त वाद बाबत खातेदारी हक एवं स्थायी निषेधाज्ञा अंतर्गत धारा 88 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत किया, जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि सरहद मौजा तवाव के वादीगण एवं प्रतिवादीगण के पूर्वज केसा वल्द जामा कौम कुम्हार सा. देह खातेदार के नाम आराजी गत खसरा नं. 178 रकबा 17 बीघा 7 बीस्वा किस्म चाही अव्वल व खसरा नं. 179 रकबा 21 बीघा 3 बीस्वा किस्म चाही अव्वल खूद काश्त खतौनी बन्दोबस्त तवाव गांव के पुराने खाता सं. 151 संवत् 2010 से 2029 में दर्ज की गई। केसा वल्द जामा फौत होने पर उक्त आराजी गत खसरा नं. 178 व 179 के राजस्व रेकर्ड में जरिये नामांतरकरण सं. 853 के केसा के बजाय जेसा, सरूपा, नरसा, रामा पि0 केसा का नाम दर्ज किया गया अर्थात उक्त आराजी केसा के स्थान पर वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 के नाम खातेदारी राजस्व रेकर्ड में दर्ज रही । द्वितीय सेटलमेंट के दौरान गत खसरा नं. 178 व 179 के नवसृजित खसरा नं. 276 रकबा 1.12 है0 किस्म चाही प्रथम जाव प्रथम, खसरा नं. 280 रकबा 1.06 है0 किस्म चाही प्रथम जाव प्रथम कुल रकबा 2.18 है0 मौजा तवाव सृजित कर प्रतिवादी सं. 1 जेसाराम पुत्र केसाराम कौम कुम्हार सा. देह खातेदार के नाम खातेदारी द्वितीय मिसल बन्दोबस्त में दर्ज की गई। विवादित आराजी वादीगण एवं प्रतिवादीगण को पैतृक पुश्तैनी भूमि होने से विवादित भूमि में केसा के सभी जायन्दा पुत्रों प्रत्येक का 1/4 – 1/4 हक–हिस्सा अधिकार बनता था, लेकिन द्वितीय सेटलमेंट अधिकारियों ने अपने अधिकार क्षेत्र से परे जाकर प्रतिवादी सं. 1 के साथ अनुचित तरीके से मिलावट कर वादीगण के नाम पुरानी जमाबंदी में नाम होते हुए भी उनका नाम हटाते हुए वादीगण से बाले–बाले वादग्रस्त भूमि केवल मात्र प्रतिवादी सं. 1 के नाम दर्ज कर दी। द्वितीस सेटलमेंट अधिकारियों ने जांच किए एवं

सहायक कलेक्टर जसवन्तपुरा जिला–जालोर (राज.)

सहायक कलेक्टर जसवन्तपुरा जालोर (राज.) सत्यमेव जयते

Scanned by CamScanner

वादीगण की बिना सुनवाई किए वादग्रस्त आराजी में प्रतिवादी सं. 1 के नाम खातेदारी दर्ज कर दी गई। जबकि उपरोक्त आराजी में वादीगण का जन्म से ही हक व अधिकार बनता हे एवं इसी अनुसार मौके पर काबिज काश्त आज दिन तक लगातार चले आ रहे है, लेकिन द्वितीय सेटलमेंट अधिकारियों को वादीगण का नाम भी वादग्रस्त भूमि प्रतिवादीगण के साथ सहखातेदारी में दर्ज करना चाहिए था लेकिन उनके द्वारा वादीगण का नाम प्रतिवादीगण के साथ सह खातेदारी में दर्ज नही करने पर वादीगण की उपरोक्त विवादित आराजी पुश्तैनी भूमि होने से एवं पूर्व जमाबंदियों सह खातेदार के रूप में नाम दर्ज होने से आज दित तक लगातार सह खातेदार के रूप में कब्जाकाश्त वादीगण का चला आ रहा है। इसलिए वादग्रस्त आराजी में प्रत्येक वादीगण 1/4 हिस्से की खातेदारी हक पाने का अधिकारी होने से उक्त वाद खातेदारी उद्घोषणा का प्रतिवादीगण के विरूद्ध पेश किया है। अतः बहक वादीगण बरखिलाफ प्रतिवादीगण अलावा कानूनी खर्चा इस आशय की डिक्री जारी की जावे कि वर्तमान खसरा नं. 276 रकबा 1.12 है0 किस्म चाही प्रथम जाव प्रथम, खसरा नं. 280 रकबा 1.06 है0 किस्म चाही प्रथम जाव प्रथम कुल रकबा 2.18 है0 मौजा तवाव(पुराने ख.न. 178 व 179) में वादीगण का प्रत्येक का 1/4–1/4 हिस्सा खातेदारी घोषित की जावे एवं स्थायी निषेधाज्ञा बहक वादीगण एवं बरखिलाफ प्रतिवादी सं. 1 की इस आशय की जारी की जावे कि प्रतिवादी सं. 1 उपरोक्त वादग्रस्त आराजी में वादीगण के कब्जाकाश्त एवं उपयोग–उपभोग में किसी भी प्रकार की दखलअंदाजी, रोकटोक व व्यवधान उत्पन्न नहीं करे तथा न ही उक्त वादग्रस्त आराजी को किसी भी तरीके के बेचान, हस्तांतरण, रहन आदि न तो स्वयं करें एवं न की अन्य किसी से करावें।

प्रतिवादीगण सं. 1, 2 , 3 ने इकबालीया जवाब दावा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादीगण के हक में अनुतोष जारी कर खातेदारी प्रदान की जाती है तो हम प्रतिवादीगण को कोई एतराज नहीं है तथा हमारा आपसी विवाद मिट जायेगा। उक्त सम्पति वादीगण की पुश्तैनी होने से वादीगण वाद के माफिक इस्तदुआ प्राप्त करने का हकदार है। माफिक दावा वादीगण व प्रतिवादीगण का कब्जा चला आ रहा है, कब्जे बाबत किसी तरह से कोई वाद विवाद नहीं है।

प्रतिवादीगण सं. 4 ने जवाब प्रस्तुत कर पटवारी हल्का द्वारा जमाबंदी अनुसार ही वर्तमान स्थिति जाहिर की है।

हमने वादीगण अधिवक्ता द्वारा पेश दावा, प्रतिवादीगण के इकबालिया जवाब दावा एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का भलिभांति अवलोकन किया। वादीगण ने वर्तमान खसरा नं. 276 रकबा 1.12 है0 किस्म चाही प्रथम जाव प्रथम, खसरा नं. 280 रकबा 1.06 है0 किस्म चाही प्रथम जाव प्रथम कुल रकबा 2.18 है0 मौजा तवाव(पुराने ख.न. 178 व 179) में वादीगण का प्रत्येक का 1/4–1/4 हिस्सा खातेदारी घोषित करने एवं स्थायी निषेधाज्ञा बहक वादीगण एवं बरखिलाफ प्रतिवादी सं. 1 की इस आशय की जारी करने की इस्तुदआ की। प्रतिवादीगण ने इकबालिंया जवाब पेश कर वादीगण के हक हिस्से अनुसार खातेदारी अधिकार प्रदान करने पर कोई एतराज व्यक्त नहीं किया। अतः उक्त खसरा नं. 276 रकबा 1.12 है0 किस्म चाही प्रथम जाव प्रथम, खसरा नं. 280 रकबा 1.06 है0 किस्म चाही प्रथम जाव प्रथम कुल रकबा 2.18 है0 मौजा तवाव(पुराने ख.न. 178 व 179) में वादीगण का प्रत्येक का 1/4–1/4 हिस्सा खातेदारी घोषित करना न्यायासंगत प्रतीत होता है।

सहायक कलेक्टर जसवन्तपुरा जालोर (राज.)

Scanned by CamScanner

आदेश

परिणामस्वरूप वादीगण वाद का अंतर्गत धारा 88 व 188 स्वीकार किया जाता है तथा मौजा तवाव के आराजी खसरा नं. 276 रकबा 1.12 है0 किस्म चाही प्रथम जाव प्रथम, खसरा नं. 280 रकबा 1.06 है0 किस्म चाही प्रथम जाव प्रथम कुल रकबा 2.18 है0 (पुराने ख.न. 178 व 179) में वादीगण का प्रत्येक का 1/4–1/4 हिस्सा खातेदारी व प्रतिवादीगण का 1/4 हिस्सा खातेदारी घोषित किया जाता है एवं स्थायी निषेधाज्ञा इस अमर की सादिर की जाती है कि पक्षकारान के बंट में आई आराजी के हिस्से व कब्जे कास्त में एक दुसरे में दखल अंदाजी नही करे एवं नही किसी से करावे। तहसीलदार जसवंतपुरा को माफिक निर्णय तहरीर जारी हो। डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 24.10.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर जसवन्तपुरा
सत्यमेव जयते
जालोर (राज.)

(श्रीमती पुष्पाकंवर सिसोदिया, RAS)
सहायक कलेक्टर, जसवंतपुरा
सहायक कलेक्टर जसवंतपुरा
जिला - जालोर (राज.)

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Pushpa Kanwar Sisodiya
Date: 2019.11.30 11:46:06 IST
Reason: SelfAttested
Location: